राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ-२२७१३२

संख्याः ई०स०-2207/जी०एस०
दिनांक : 16 सितम्बर,२००५

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

महोदय,

आपके पत्रांक ६३४४/सम्बद्धता/२००५, दिनांक २६.६.२००५ के संदर्भ मे मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा-३७ (२) के अधीन बनारस इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजूकेशन, निवाह, पिण्डरा, वाराणसी को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में १०० सीट की प्रवेश क्षमता सहितं स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक १.७.२००५ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी हैः-

१- संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।

२- संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-२८५१/सत्तर-२-२००३-१६(९२)/२००२, दिनांक २ जुलाई, २००३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

३- यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(हरी चरन प्रकाश)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

१- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
२- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
३- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ४६-ए, शान्तिपथ, तिलकनगर, जयपुर।
४- प्रबन्धक, बनारस इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजूकेशन, निवाह, पिण्डरा, वाराणसी।

(हरी चरन प्रकाश)
कुलाधिपति के विशेष सचिव